अध्याय 4: सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुमोदन के बाद अनुवीक्षण तथा प्रवर्तन

किसी विकास योजना की स्थिरता के लिए अनुवीक्षण एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यह किसी पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अभिन्न घटक है। अनुमोदन पश्चात परियोजना का अनुवीक्षण, लागू किए गए न्यूनीकरण उपायों के परिणाम को जानने और समस्याओं के सामने आने की स्थिति में उन्हें कम करने में मदद करता है।

4.1 अनुमोदन पश्चात अनुवीक्षण की प्रभावशीलता

हमने स्थल सत्यापन के माध्यम से अनुमोदित परियोजनाओं में अनुमोदन के बाद अनुवीक्षण की प्रभावशीलता के तंत्र की जांच की तथा एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा निर्धारित शर्तों और एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. दी गई अनुमोदनों की जांच की। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के क्षेत्रीय कार्यालयों को स्वीकृति पत्र में अनुबंधित शर्तों के अनुपालन के अनुवीक्षण का उत्तरदायित्व निरुपित है। परियोजना प्रस्तावकों को क्षेत्रीय कार्यालयों को अर्ध-वर्षीय अनुपालन प्रतिवेदन तथा वार्षिक पर्यावरण विवरण जमा करनी होती है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्थापना/संचालन की सहमति के समय पर दी गई शर्तो के अनुपालन का अनुवीक्षण करना होता हे।इस संबंध में हमारे अवलोकन अग्रवर्णित अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

4.1.1 अनुमोदनों में अनुबंधित शर्तों का गैर अनुपालन

हमने यह देखा कि 18 परियोजनाओं **(अनुलग्नक 11)** में परियोजना प्रस्तावक, अनुमोदनों में अनुबंधित शर्तों के अनुपालन तथा अनुमोदन के लिए एस.सी.जेड़.एम.ए. द्वारा अनुशंसित शर्तो का पालन करने में असफल रहे। कुछ मामलों का नीचे व्यख्यान किया गया है।

क. ट्रोपिकाना लिक्विड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण टर्मिनल, कर्नाटक बंदरगाह के निर्माण की प्रस्तावित परियोजना को 2015 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा मंजूरी दी गई थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अनुमोदन प्रदान करते समय माँगी गई तेल रिसाव आकस्मिक योजना तैयार तथा तेल रिसाव को रोकने के लिए समर्पित नावों की तैनाती नहीं की गई थी। पाइपलाइन में रिसाव की पहचान करने और तुरंत पंपिंग को बंद करने के लिए आवश्यक कंप्यूटरीकृत एस.सी.ए.डी.ए. (सुपरवाईजरी कंट्रोल एवं डेटा ऑटोमेशन) प्रणाली भी परियोजना स्थल पर उपलब्ध नहीं थी। परियोजना प्रस्तावक ने अनुमोदन प्राप्त करते समय एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अलग पर्यावरण प्रबंधन सेल की स्थापना भी नहीं की थी।

ख. चेन्नई रिवर्स रेस्टोरेशन ट्रस्ट, तमिलनाडु द्वारा प्रस्तावित परियोजना इंट्रीग्रेटेड कूवम रिवर रेस्टोरेशन परियोजना को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा वर्ष 2017 में मंजूरी दी गई थी। तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा कूवम नदी की 5,08,177 क्यू.मी. गाद निकालने की इजाजत दी गई थी। साथ ही एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी. द्वारा यह शर्त भी रखी गई थी

कि निकर्षण के माध्यम से उत्पन्न गाद को सी.आर.जेड. क्षेत्र के बाहर डाला जाएगा। मेडबंदी और परिदृश्य परिवर्तन भी निषिद्ध थे। हमने यह पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने 8,94,757 क्यू.मी. का गाद निकाला गया तथा इस प्रकार उत्पन्न गाद का 40 प्रतिशत ही डंपयार्ड में भेजा गया। बची हुई गाद को नदी के किनारे जमा दिया गया जिसके चलते मेड निर्मित हो गए जिससे परिदृश्य प्रभावित हुआ।

ग. टी.आर.आई.एफ. कोच्चि परियोजना प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित कोचिन आवासीय परियोजना को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा वर्ष 2016 में मंजूरी दी गई। पर्यावरण स्वीकृति के अनुसार उच्च ज्वार लाईन के 0-200 मी. के क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया जाना था। हमने यह पाया कि संपूर्ण परियोजना एच.टी.एल. के 200 मी. के अंदर पूरी की गई थी। सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के अनुसार भूजल की निकासी की अनुमति केवल पीने की आवश्यकताओं, बागवानी और मत्स्य पालन के लिए सामान्य कुंओं से हाथ द्वारा निकालने की थी, जहां पानी का कोई और स्त्रोत उपलब्ध ना हो। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए जल नलकूप के माध्यम से निकाला गया था।

घ. एम.एम.आर.डी.ए. महाराष्ट्र द्वारा एक प्रस्तावित परियोजना मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक को 2016 में मंजूरी दी गई थी जिसका उद्देश्य 47.410 हेक्टेयर वन भूमि को डायवर्ट करना था। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई कि महाराष्ट्र सरकार को एविफौना के लिए वैकल्पिक आवास बनाना होगा जिनके घोसलों वाले पेड़, परियोजना निर्माण के लिए हटा दिये गए थे। परियोजना के लिए हटाए किए जा रहे वन क्षेत्र और वन क्षेत्र से सटे मानव बस्तियों में पर्यावरण अनुकूल सामग्री से कृत्रिम घोंसलों का उपयोग किया जाना था। हमने देखा कि परियोजना के लिए 669 पेड़ हटाए गए थे, लेकिन प्रभावित एविफौना के लिए वैक्लिपक आवास तैयार नहीं किया गया था।

इस प्रकार, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी और इसके क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करने में असफल रहे कि परियोजना प्रस्तावक मंजूरीयों में वर्णित शर्तों का पालन करते हैं। इन प्रमुख शर्तों के गैर-अनुपालन से परियोजना के आसपास के पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और साथ ही एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से अक्षम अनुवीक्षण को दर्शाता है।

4.1.2 अनिवार्य प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न करना

जिन परियोजनाओं को ई.आई.ए./सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत मंजूरी दी गई है, उनके लिए मंजूरी पश्चात अनुवीक्षण तंत्र पर्यावरण मंजूरी के निर्धारित नियमों और शर्तों के संबंध में अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है। इन्हें एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाता है जिससे विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा अनुवीक्षण के लिए आधार तैयार किया जा सके।

(i) अर्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने देखा कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृत 13 मामलों **(अनुलग्नक 12)** में परियोजना प्रस्तावक इन रिपोर्टों को समय-समय पर प्रस्तुत करने में असफल रहे। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी., मंजूरी प्रदान करते समय एक शर्त यह रखता है कि अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में मंजूरी को रद्द करने का अधिकार उसके पास है। हालांकि, लेखापरीक्षा को ऐसा कोई मामला नहीं मिला जहां एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक पर कोई कार्रवाई शुरू की हो।

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने आश्वासन दिया (फरवरी 2022) कि मंत्रालय, परियोजना प्रस्तावकों द्वारा छमाही निगरानी प्रतिवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत कराने की योजना बना रहा है।

(ii) वार्षिक पर्यावरण विवरण को प्रस्तुत न करना

अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, प्रस्तावक को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक पर्यावरण विवरण प्रस्तुत करना होता है। यह देखा गया कि यह विवरण हवा और पानी की गुणवत्ता के सामान्य मुद्दों से संबंधित था और इसमें परियोजना के लिए विशिष्ट विवरण शामिल नहीं थे। यह भी देखा गया कि 2015-20 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई 43 नमूना परियोजनाओं में से 17 परियोजनाओं **(अनुलग्नक 13)** के लिए अनिवार्य वार्षिक पर्यावरण विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(iii) परियोजना शुरू होने से पहले सी.टी.ओ./सी.टी.ई. प्राप्त नहीं किया गया

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के अनुसार, सभी उद्योगों और स्थानीय निकायों को किसी भी घरेलू सीवेज या व्यापार अपशिष्ट को पानी, नाले, कुएं, सीवर या भूमि पर छोड़ने के लिए स्थापना की सहमति (सी.टी.ई.) तथा किसी भी नई इकाई की स्थापना के लिए या निर्माण गतिविधियों को करने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त करना होता है तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पहले इकाइयों को संचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) की भी आवश्यकता होती है।

हमने पाया कि सीआरजेड क्षेत्रों **(अनुलग्नक 14)** में 13 परियोजनाएं, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई सीटीई या सीटीओ प्राप्त किए बिना शुरू हो गई थीं। इसके अलावा, किसी भी परियोजना प्रस्तावक को इस अधिनियम की धारा 25 का उल्लंघन करने पर दंडित नहीं किया गया था, जिसके अंतर्गत कम से कम एक वर्ष और छह महीने के कारावास, जो छह साल तक हो सकता है और जुर्माना हो सकता है।

इस प्रकार, परियोजना समर्थकों द्वारा परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में आवश्यक जानकारी ना दिए जाने के कारण मंजूरी के बाद अनुवीक्षण की प्रणाली प्रभावित हुई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने उदाहरण देखे कि जहां परियोजना प्रस्तावकों द्वारा मंजूरी शर्तों का पालन नहीं किया गया था, जो एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रभावी ढंग

से अनुवीक्षण करने में विफलता को दर्शाता है। ये कमियां नियामक एजेंसियों की अनुमोदित परियोजनाओं के परिणामस्वरूप तटीय पर्यावरण पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव पर ध्यान देने और रोकने की क्षमता को कम कर देंगी।

4.2 सी.आर.जेड. प्रावधानों का प्रवर्तन

सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 एस.सी.जेड.एम.ए. को अनुमति योग्य परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश करने और उनके आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने, यदि उल्लंघन कोई हो तो और संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने के लिए अधिकृत करती है। लेखापरीक्षा ने एस.सी.जेड.एम.ए. और डी.एल.सी. द्वारा सी.आर.जेड. प्रावधानों के प्रवर्तन की समीक्षा की और ऐसे उदाहरण देखे जहां एस.सी.जेड.एम.ए., सी.आर.जेड. उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे। साथ ही, डी.एल.सी. उल्लंघनों की पहचान करने और एस.सी.जेड.एम.ए. को इसकी रिपोर्ट करने में विफल रहे। लेखापरीक्षा ने राज्यों में सी.आर.जेड. उल्लंघनों[31] की छँटनी की और उनकी स्थिति की समीक्षा की और इस संबंध में टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है।

4.2.1 सी.आर.जेड. 1 क्षेत्रों में अनियमित विकास गतिविधियां

(i) ओलिव रिडले कछुओं के नेस्टिंग स्थलों पर निर्माण

लेखापरीक्षा ने ओडिशा के पुरी जिले के बांगर में स्थित सी.आर.जेड. 1ए क्षेत्र में एक जेल परिसर के अनियमित निर्माण को देखा। यह निर्माण बालुखंड-कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य के अंदर हुआ था, जिसमें समुद्र तटों पर ओलिव रिडले कछुए के नेस्टिंग स्थल भी हैं। नीचे दिए गए चित्र क्षेत्र के लिए स्वीकृत सी.जेड.एम.पी. और लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त उपग्रह छवियों को दिसंबर 2020 में दर्शाते हैं।

[31] पैरा में रिपोर्ट किए गए उल्लंघन के मामले दो प्रकार के हैं। पहला प्रतिवेदित उल्लंघन, जिसमें एस.सी.जेड.एम.ए. को शिकायत की गई थी और लेखापरीक्षा ने एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया था, जिसका उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है जहाँ भी जरुरत थी। ,दूसरे प्रकार के अप्रतिवेदित उल्लंघन हैं जहां ऑडिट ने जी.आई.एस. उपकरणों का उपयोग करके अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. के साथ अनियमित निर्माण की उपग्रह छवियों की तुलना की है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वे निषिद्ध क्षेत्रों में हैं या नहीं।

चित्र 4: बालूखंड अभयारण्य और कछुआ अभ्यारण्य के आसपास के तट के लिए सी.जेड.एम.पी., हरे रंग की छाया में सी.आर.जेड. 1ए क्षेत्र को दर्शाता है और अनियमित निर्माण को लाल रंग में चिह्नित किया गया है

इसके अलावा, नीचे लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त किए गए उपग्रह चित्र इंगित करते हैं कि 2011 में क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं हुआ था।

चित्र 5: जेल परिसर के निर्माण से पहले के क्षेत्र की उपग्रह चित्र (अक्टूबर 2011) लाल चिन्हित क्षेत्र के भीतर खाली जमीन दिखा रही है।

चित्र 6: लाल चिह्नित क्षेत्र के भीतर बांगर में जेल परिसर की उपग्रह चित्र (दिसंबर 2020)

ii) तमिलनाडु के पट्टीपुलम में सी.आर.जेड. 1 क्षेत्र में रेसट्रैक का अनियमित निर्माण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.आर.जेड. 1 क्षेत्र में पट्टीपुलम, चेन्नई में एक रेसट्रैक का निर्माण किया गया था। नीचे दिए गए आंकड़े क्षेत्र के लिए अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. और क्षेत्र के लिए ऑडिट द्वारा मार्च 2021 में प्राप्त उपग्रह छवियों को दर्शाते हैं। अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. के अनुसार वह क्षेत्र जहां रेसट्रैक का निर्माण किया गया है (लाल से चिन्हित) कुछ सी.आर.जेड़ 1ए क्षेत्र तथा कुछ नो डेवलपमेन्ट जोन में आता है। लेखापरीक्षा द्वारा मार्च 2021 मे लिए गए उपग्रह चित्र प्रतिबंधित क्षेत्र में रेसट्रैक के अनियमित निर्माण की उपस्थिति को इंगित करते हैं।

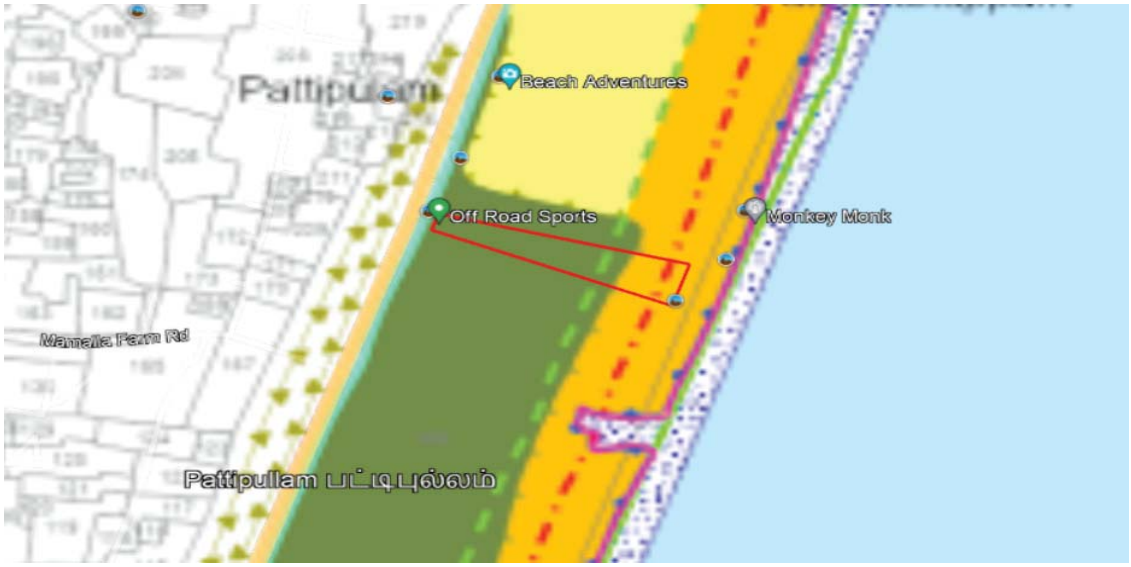

चित्र 7: पट्टीपुलम क्षेत्र का स्वीकृत सी.जेड.एम.पी. हरे रंग में सी.आर.जेड. 1ए जोन और पीले रंग में एन.डी.जेड. को दर्शाता है।

चित्र 8: सी.आर.जेड. 1A और एन.डी.जेड. क्षेत्र में निर्मित रेसट्रैक की उपग्रह चित्र (मार्च 2021)

4.2.2 नो डेवलपमेंट जोन में अनियमित गतिविधियां

क) नो डेवलपमेंट जोन में तटीय रिजॉर्ट का अनियमित निर्माण

तमिलनाडु एस.सी.जेड़.एम.ए. को कांचीपुरम जिले के कुवाथुर क्षेत्र में नो डेवलपमेंट जोन में एक रिसॉर्ट (गोल्डन बे रिसॉर्ट्स) के निर्माण कार्य के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के अनुसार अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. नो डेवलपमेंट जोन को समुद्र के संदर्भ में एच.टी.एल. से 200 मीटर[32] की दूरी पर और ज्वार से प्रभावित जल निकायों के संदर्भ में 100 मीटर की दूरी पर या क्रीक की चौड़ाई जो भी कम हो, के रूप में परिभाषित करता है। लेखापरीक्षा ने तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. की अनुवर्ती कार्रवाई का आकलन किया और पाया कि डी.एल.सी., कांचीपुरम जिले ने रिसॉर्ट का दौरा किया और तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. को सूचित किया कि रिजॉर्ट 2013 से बिना वैध प्रमाण पत्र के संचालन में है। यह भी बताया गया था कि रिसॉर्ट समुद्र में अनुपचारित सीवेज का निर्वहन कर रहा था। तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. ने 2017 में रिसॉर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह पाया गया कि मार्च 2021 तक तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा आगे कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने इस क्षेत्र के उपग्रह चित्र प्राप्त किए और इसकी तुलना अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. से की, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

[32] सी.आर.जेड. अधिसूचना 2019 के अनुसार, एच.टी.एल .या क्रीक की चौड़ाई जो भी 50 मीटर से कम हो, , ज्वार से प्रभावित जल निकायों के साथ संशोधित किया गया है।

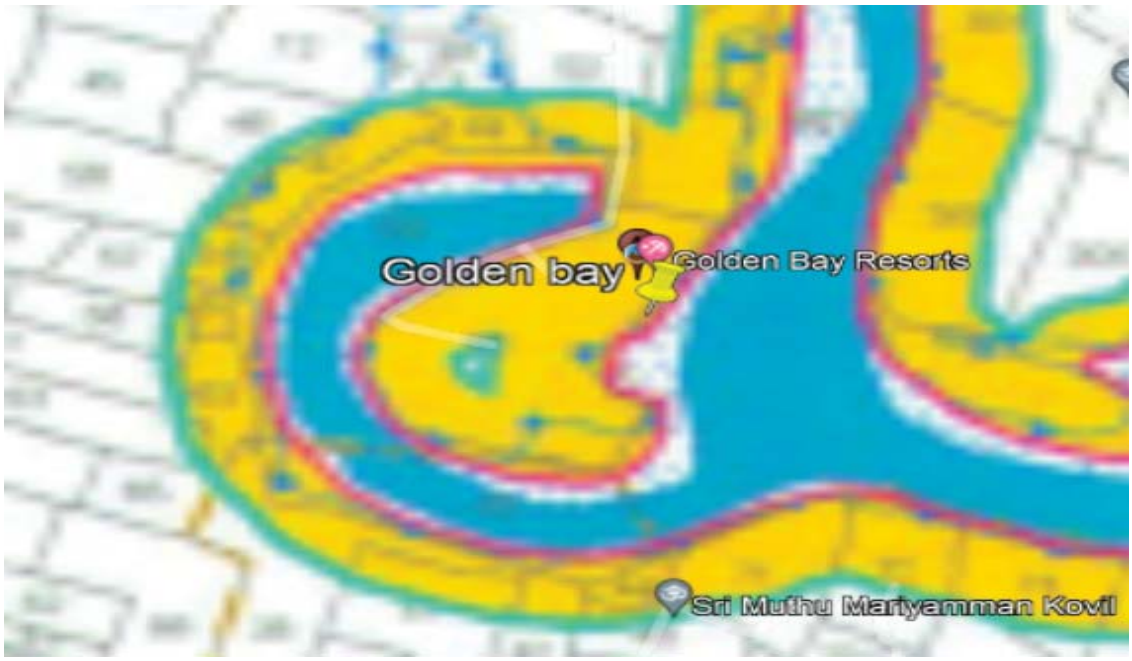

चित्र 9: क्षेत्र के लिए अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. जिसमें नो डेवलपमेन्ट जोन को पीले रंग से इंगित किया गया है।

चित्र 10: नो डेवलपमेन्ट जोन में रिसॉर्ट की उपग्रह चित्र (अक्टूबर 2021)

मार्च 2021 में राज्य के लेखापरीक्षा दल और संबंधित अधिकारियों द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) के दौरान, रिसॉर्ट के साथ ही एक नाव जेट्टी की भी उपस्थिति की पुष्टि की गई थी।

(ख) नो डेवलपमेंट जोन में जेट्टी विस्तार का अनियमित निर्माण कार्य

गुजरात एस.सी.जेड.एम.ए. को जून 2018 में देवभूमि, द्वारका में एक अनियमित निर्माण कार्य की शिकायत मिली और उनके द्वारा गुजरात एस.पी.सी.बी. को स्थल निरीक्षण का निर्देश दिया। गुजरात एस.पी.सी.बी. ने 30 मीटर लंबे जेट्टी के अवैध निर्माण कार्य की पुष्टि की और उल्लंघन करने वालों को निर्माण कार्य से हटाने का निर्देश दिया। लेखापरीक्षा ने क्षेत्र के उपग्रह चित्र प्राप्त किए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

चित्र 11: बिना जेट्टी विस्तार (पीले से इंगित) के क्षेत्र की उपग्रह चित्र (नवंबर 2015)

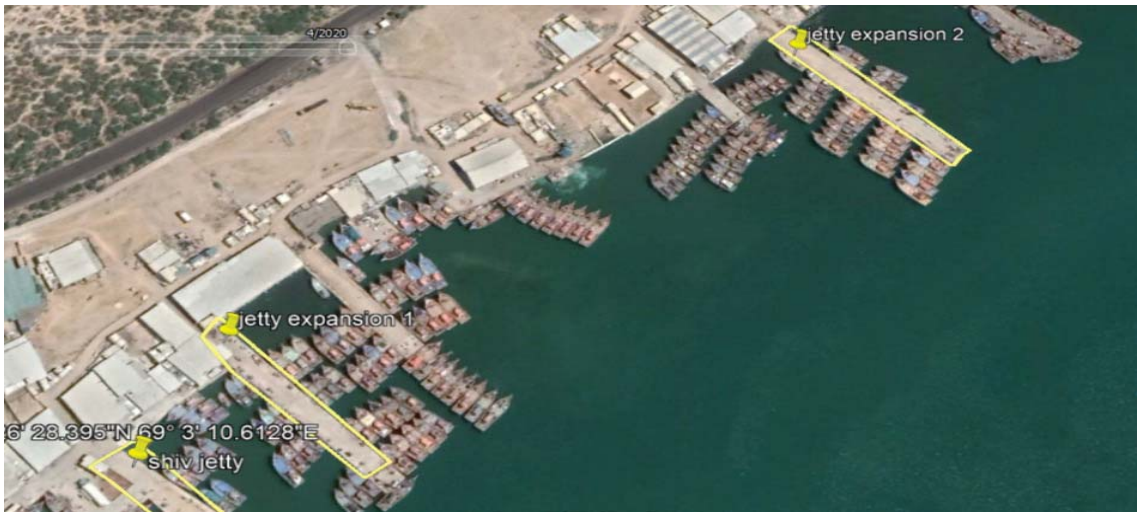

चित्र 12: जेट्टी विस्तार का उपग्रह चित्र (सितंबर 2021)

ऊपर दिखाए चित्रों से यह पाया गया है कि भले ही गुजरात एस.पी.सी.बी. ने उल्लंघनकर्ताओं को 2018 में निर्माण कार्य को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्मित संरचना अभी तक (2021) बनी हुई है, यह संबंधित प्राधिकारियों की ओर से अप्रभावी कार्रवाई का दर्शाता है।

ग) वेम्बनाड झील क्षेत्र में अतिक्रमण और सी.आर.जेड. उल्लंघन

वेम्बनाड झील[33] केरल की सबसे बड़ी झील है और इसे अहम रुप से संवेदनशील तटीय क्षेत्र के रूप में नामित किया जाता है। क्षेत्र के लिए स्वीकृत सी.जेड.एम.पी., झील पारितंत्र में स्थित द्वीपों को नो डेवलपमेंट जोन के रूप में पहचानता है। झील क्षेत्र और उसके आसपास अनियमित सुधार और निर्माण कार्य के कारण वेम्बनाड पारितंत्र इन विकास कार्यो से के दबाव में है।

जून 2018 में केरल एस.सी.जेड.एम.ए. को एलेप्पी जिले के पनावली पंचायत में स्थित नेदियाथुरुथ द्वीप में एक रिसॉर्ट के निर्माण कार्य के बारे में शिकायत मिली। क्षेत्र के लिए स्वीकृत सी.जेड.एम.पी. के अनुसार, द्वीप को नो डेवलपमेंट जोन के रूप में नामित किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में झील क्षेत्र में रिसॉर्ट को अतिक्रमण घोषित करते हुए रिसॉर्ट को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। हमने यह पाया कि रिसॉर्ट को अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया है। परियोजना क्षेत्र के उपग्रह चित्रों का परिक्षण करते हुए, लेखापरीक्षा ने एलेप्पी जिले की पानावली पंचायत में स्थित अंजुथुरुथु द्वीप पर एक और रिसोर्ट 'ग्रांड आयूर द्वीप' की पहचान की। ये द्वीप सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत झील क्षेत्र के नो डेवलपमेंट जोन का हिस्सा हैं। नीचे दिए गए आंकड़े द्वीप क्षेत्र के लिए अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. (पीले रंग में इंगित एन.डी.जेड.) और क्षेत्र के लिए लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त उपग्रह छवियों को इंगित करते हैं जो नो डेवलपमेंट जोन में अनियमित निर्माण कार्य को दर्शाता है।

चित्र 13: क्षेत्र के लिए अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. बाईं तरफ तथा क्षेत्र की 2021 की उपग्रह चित्र दाईं तरफ

[33] 2033 वर्ग किमी. के क्षेत्रफल और 96.5 किमी. की अधिकतम लंबाई के साथ यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट है

घ) अक्कुलम झील क्षेत्र में अनियमित विकास गतिविधियाँ

त्रिवेंद्रम की अक्कुलम झील तिरुवनंतपुरम में एक आर्द्रभूमि पारितंत्र है, जिसे झील क्षेत्र में सुधार और निर्माण गतिविधियों[34] से लगातार खतरा रहा है। लेखापरीक्षा ने पाया कि केरल एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा अक्कुलम झील क्षेत्र में अवैध निर्माण और सुधार कार्यों के बारे में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर, तिरुवनंतपुरम के नगर निगम को एक कार्रवाई प्रतिवेदन (ए.टी.आर.) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिस पर उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। डी.एल.सी. ने सितंबर 2020 में इस स्थल का सत्यापन किया और क्षेत्र में अनियमित निर्माण पाया। क्षेत्र की उपग्रह चित्रण का परीक्षण करते समय, लेखापरीक्षा ने एच.टी.एल. पर एक आवासीय भवन का अनियमित निर्माण कार्य पाया। हमने देखा कि आवासीय परिसर एच.टी.एल. के आसपास बनाया गया है और लगभग 1.48 हेक्टेयर का क्षेत्र अंतज्वारिय क्षेत्र (एच.टी.एल. से समुद्र के किनारे) में पड़ता है। उसी के लिए चित्र नीचे दर्शाए गए हैं:

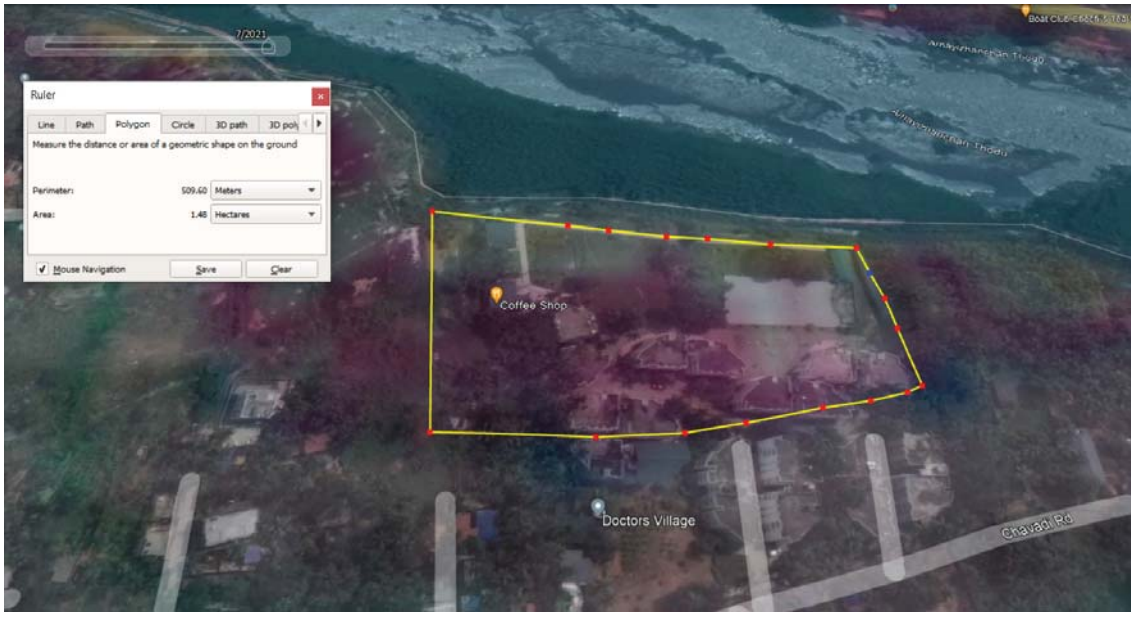

चित्र 14: 2021 का स्थल चित्र जो 1.48 हेक्टेयर के अंतज्वारिय क्षेत्र में निर्माण कार्य को दर्शाता है (एच.टी.एल. पर्पल रंग से इंगित)।

ड़) नो डेवलपमेंट जोन में मॉल का निर्माण

मेसर्स लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल का निर्माण तिरुवनंतपुरम में अक्कुलम के पास एन.एच. बाईपास रोड पर किया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए जे.पी.वी. से पता चलता कि एन.डी.जेड. क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समीप की टीएस नहर के साथ सीमा रेखा से सटे भूमि

[34] एम.ओ.ई.एफ. एवं सी. सी. ने 2017 में अक्कुलम झील पर एक अध्ययन किया और पाया कि बैकवाटर के कई हिस्सों में सुधार एवं निर्माण के परिणामस्वरूप आर्द्रभूमि क्षेत्र संकुचित हो गया है। केरल राज्य सुदूर संवेदन एवं पर्यावरण केन्द्र (के.एस.आर.ई.सी.) ने झील क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक कार्यालयों के निर्माण की सूचना दी। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप 1967 से 2020 तक 28.49 हेक्टेयर आर्द्रभूमि क्षेत्र संकुचित हो गया है।

के हिस्से पर हाई मास्ट लाईट लगाने के लिए कंक्रीट बीम और बेसिन का निर्माण किया गया है। टी.एस. नहर से सटे सी.आर.जेड. क्षेत्र में तीन मीटर की औसत ऊंचाई की एक पत्थर की दीवार जिसके ऊपर तार की एक जाली की बाड़ के साथ का निर्माण किया गया था, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों में दर्शाया गया है।

चित्र 15: नो डेवलपमेन्ट में निर्माण कार्य को दर्शाते चित्र

च) उडिपी जिले, कर्नाटक में नो डेवलपमेंट जोन में अवैध सड़क निर्माण

कर्नाटक एस.सी.जेड.एम.ए. को शांभवी नदी के द्वीपों में सड़क के अवैध निर्माण कार्य की शिकायत मिली थी। स्थल निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि सी.आर.जेड. की मंजूरी प्राप्त किए बिना एक सड़क और दो पुलों का निर्माण कार्य किया गया था। इसके अलावा, यह बताया गया कि सड़क के निर्माण के लिए मैंग्रोव वृक्षारोपण को नष्ट कर दिया गया था। हालांकि राज्य निर्माण विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कर्नाटक एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। जे.पी.वी. के दौरान लेखापरीक्षा दल द्वारा सड़क की उपस्थिति का सत्यापन किया गया था। लेखापरीक्षा ने साइट के उपग्रह चित्र प्राप्त किए जो नीचे दर्शाए गए है, जो स्पष्ट रूप से सड़क दिखाते हैं:

चित्र 16: द्वीप (नो डेवलपमेन्ट जोन) के बीच में निर्मित सड़क का उपग्रह चित्र

छ) मैसर्स टी.आर.आई.एफ., कोच्चि द्वारा वेम्बनाड झील के आर्द्रभूमि क्षेत्र में एक वाणिज्यिक परियोजना की अनियमित स्वीकृति

टी.आर.आई.एफ. द्वारा आवासीय परिसर की प्रस्तावित परियोजना को सितंबर 2011 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के ई.ए.सी. द्वारा मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया था। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने भूमि के प्रकार के बारे में केरल एस.सी.जेड.एम.ए. से जानकारी मांगी थी और मंजूरी को रोक दिया गया था। केरल एस.सी.जेड.एम.ए. की रिपोर्ट ने परियोजना क्षेत्र को सी.आर.जेड. क्षेत्र घोषित किया जिसके चलते परियोजना क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधि के लिए पुनर्ग्रहित नहीं किया जा सकता, जो कि आर्द्रभूमि का एक भाग है। केरल एस.सी.जेड.एम.ए. ने 2012 में जब एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने भूमि की प्रकृति के विषय पर मांग की थी, तब भी यही जवाब दिया गया था। 2016 में, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई। लेखापरीक्षा जांच के दौरान, यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक ने मंजूरी मिलने से पहले ही 2013 में निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। यह देखा गया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने परियोजना क्षेत्र को सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के प्रावधानों तथा वेटलैंड अधिसूचना 2010 के प्रावधानों के उल्लंघन के बावजूद भी अधिसूचित आर्द्रभूमि क्षेत्र में मंजूरी दी।

ज) गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में तटीय जलीय कृषि इकाइयों द्वारा अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ए.पी.पी.सी.बी. को 2018 मेसर्स गायत्री हैचरी- ।और मेसर्स सूर्य वंशी श्रिम्प हैचरी[35] से अपशिष्ट जल के निर्वहन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुईं, जिससे तटीय जल दूषित हो रहा है। ए.पी.पी.सी.बी. ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए फर्मों को 3 दिनों के भीतर परिसर के बाहर अनुपचारित अपशिष्ट जल के निर्वहन को रोकने का निर्देश दिया। लेखापरीक्षा ने अगस्त 2021 में गायत्री हैचरी में ए.पी.पी.सी.बी. के साथ एक संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) आयोजित किया और पाया कि हैचरी तभ भी अनुपचारित अपशिष्टों को सीधे समुद्र में ही बहा रही थी (सी.आर.जेड. IV)।

हमने यह भी देखा कि ए.पी.पी.सी.बी. ने इन हैचरी को सहमति/नवीनीकरण पत्र प्राप्त ना करने की वजह से कारण बताओ नोटिस (मार्च 2018) और कार्य बंद करने के आदेश (मई 2018) जारी किए। फर्मों ने कानून की अज्ञानता का दावा करते हुए संचालन के लिए सहमति (सी.एफ.ओ.) के लिए आवेदन किया (मई/जून 2018) और ए.पी.पी.सी.बी. ने इस शर्त के साथ कि वे किसी भी परिस्थिति में उद्योग परिसर के बाहर अनुपचारित अपशिष्ट का निर्वहन नहीं करेंगे इनके बंद करने के आदेश (मई/जून 2018) को निरस्त कर दिया। लेखापरीक्षा ने इस

[35] मेसर्स गायत्री हैचरी- ।, पांडुरंगपुरम गांव, बपटला मंडल की अद्वी पंचायत, गुंटुर जिला

क्षेत्र के उपग्रह चित्र प्राप्त किए जो कई हैचरी की मौजूदगी की पुष्टि करते है जो समुद्र में अपना अपशिष्ट छोड़ रहे थे।

चित्र 17: पूर्वी गोदावरी जिले में कोठापेटा ग्रामीण समुद्र तट पर गायत्री हैचरी के आसपास के क्षेत्र का चित्र, जो कई अन्य हैचरी द्वारा समुद्र में सीधे अपशिष्ट प्रवाहित करते हुए दर्शाता है।

इसके अलावा पूर्वी गोदावरी जिले में कोन्नापापेटा समुद्र तटों के उपग्रह चित्रों की जांच की और यह पाया कि कोन्नापापेटा समुद्र तट पर हैचरी और झींगा खेतों के समूह हैं जो अपशिष्टों को सीधे समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं नीचे दी गई उपग्रह छवि मार्च 2021 की है:

चित्र 18: पूर्वी गोदावरी जिले के कोन्नापापेटा समुद्र तट पर कई हैचरी की उपस्थिति और हैचरी द्वारा समुद्र में अपशिष्ट का खुला निर्वहन

(i) कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु के सी.आर.जेड. क्षेत्रों में बर्फ संयंत्रों और मछली पैकिंग इकाइयों का अनियमित संचालन

सी.आर.जेड. क्षेत्रों में बर्फ संयंत्रों की स्थापना और संचालन के लिए सी.आर.जेड. मंजूरी की आवश्यकता होती है। हमने सी.आर.जेड. मंजूरी प्राप्त किए बिना कन्याकुमारी जिले में चल रहे बर्फ संयंत्रों के मामले पाए। संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) के दौरान, यह देखा गया कि एक आइस प्लांट परिसर के भीतर मछली पैकिंग इकाई भी चल रही थी। इन गतिविधियों को डी.एल.सी., कन्याकुमारी द्वारा अनियमित रूप से मंजूरी दी गई थी। तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. ने अगस्त 2020 में डी.एल.सी., कन्याकुमारी को इस उल्लंघन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। यह नोट किया गया कि डी.एल.सी. ने मार्च 2021 तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी।

चित्र 19: संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) के दौरान अनाधिकृत आइस प्लांट और मछली पैकिंग इकाई की फोटो

बर्फ संयंत्र के अनियमित संचालन का एक और उदाहरण कन्याकुमारी जिले में देखा गया, जहां संयंत्र अपशिष्ट जल को सीधे समुद्र में प्रवाहित कर रहा था। यह भी पाया गया कि आइस प्लांट सी.आर.जेड. अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भूजल खींच रहा था। यद्यपि तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. ने डी.एल.सी. को दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, परन्तु डी.एल.सी. ने अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करी है।

चित्र 20: संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) के दौरान बर्फ संयंत्र द्वारा अपशिष्ट जल को सीधे समुंद्र में प्रवाहित करने की फोटो

4.2.3 बंदरगाह क्षेत्रों में प्रतिबंधित उत्पादों का भंडारण

सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के अनुसार, सीआरजेड क्षेत्र में भंडारण के लिए 15 निर्दिष्ट पेट्रोलियम और रासायनिक उत्पादों की अनुमति थी। परियोजनओं को दी गई मंजूरी की शर्तों के अनुपालन की जांच करते समय, हमने देखा कि दो मामलों में, प्रतिबंधित वस्तुओं को सी.आर.जेड. क्षेत्र में संग्रहित करने दिया गया:

ए. अदानी पेट्रोनेट पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (ए.पी.पी.पी.एल.) द्वारा अदानी पेट्रोनेट (दहेज) बंदरगाह के विस्तार को अक्टूबर 2016 में मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना में सूखे बहुउद्देश्यीय कार्गो भंडारण और अतिरिक्त कोयला भंडार के विकास के लिए 23 हेक्टेयर बैक-अप क्षेत्र के सुधार के साथ कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार शामिल था। इंटरटाइडल जोन (सी.आर.जेड. I) में उपरोक्त ड्राई बल्क कार्गो के लिए एक भंडारण क्षेत्र का विकास और सी.आर.जेड.- III क्षेत्र में कोयले के भंडार का विकास इस परियोजना में सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 को उल्लंघित कर रहा था क्योंकि उन्हें अधिसूचना के अनुमेय उत्पादों की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

बी. ट्रॉपिकाना लिक्विड स्टोरेज (पी.) लिमिटेड द्वारा कारवार, कर्नाटक में पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण टर्मिनल के निर्माण को मार्च 2008 में सी.आर.जेड. मंजूरी दी गई थी। हमने पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने बिटुमेन को स्टोर करने के लिए टर्मिनल का उपयोग किया, जो कि उन पेट्रोलियम उत्पादों की सूची मे नही थी जिनको सी.आर.जेड. अधिसूचना 1991 और 2011 के अनुसार बंदरगाह क्षेत्रों में भंडारण के लिए अनुमति दी गई थी। हालांकि बिटुमेन भंडारण करने के लिए इस सुविधा का उपयोग किया जा रहा था, इस बात की जानकारी पी.पी. द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट में दी गई थी। लेकिन उक्त उल्लंघन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि सी.आर.जेड. क्षेत्र में बिटुमेन के भंडारण की अब नई सी.आर.जेड. अधिसूचना 2019 के तहत अनुमति दी गई है, पर तथ्य यह है कि सी.आर.जेड. मंजूरी लेने के लिए तैयार कि गई ई.आई.ए. प्रतिवेदन ने सिर्फ टैंकों में तरल पेट्रोलियम के भंडारण और हस्तांतरण के प्रभावों का मूल्यांकन किया था।

इस प्रकार, एस.सी.जेड.एम.ए. और डी.एल.सी. ने तटीय क्षेत्र में उल्लंघनों की सक्रिय निगरानी नहीं की और प्रतिबंधित सी.आर.जेड. क्षेत्रों में अनियमित निर्माण किए।

एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. ने कहा (फरवरी 2022) कि उल्लंघन से संबंधित जानकारी मंत्रालय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह आश्वासन दिया कि अनुशंसाओं को मंत्रालय के उच्चतम स्तर पर जाएगा।

4.3 निष्कर्ष

- परियोजनाओं की मंजूरी के बाद उनका अनुवीक्षण अप्रभावी था क्योंकि परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा अनिवार्य रिपोर्ट जैसे अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट और वार्षिक पर्यावरण विवरण प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे। परियोजना के प्रस्तावकों ने मंजूरी में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया।
- एस.सी.जेड.एम.ए. ने सी.आर.जेड. उल्लंघनों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई नहीं की और उन मामलों में जहां उन्होंने कार्रवाई की, अनुवर्ती कार्रवाई अप्रभावी थी। जी.आई.एस. उपकरण की मदद से, हमने सी.आर.जेड. 1ए ज़ोन और नो डेवलपमेंट ज़ोन में अनियमित निर्माण जैसे अप्रतिवेदित उल्लंघन की पहचान की।
- एन.सी.जेड.एम.ए. ने उल्लंघन का अनुवीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित एस.सी.जेड.एम.ए. की गतिविधियों की निगरानी नहीं की। निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाइयों की कमी के परिणामस्वरूप विकास परियोजनाओं द्वारा तटीय पारितंत्रों के विनाश के खिलाफ निषप्रभावी अवरोध हो पाएगा।